इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019—अग्रहायण 8, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 1-2/2013/58 भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त नियमों में, अनुसूची - एक के अनुक्रमांक - एक के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची - एक
(नियम 5 देखिए)

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षक	09	तृतीय वर्ग	9300-34800+4200	-

Number F-1-2/2013/58 provided by Article 2 of the Constitution of India. No. 309 of the constitution. By using the powers. The state government of Madhya Pradesh has made the following amendments in the Madhya Pradesh Horticulture. Non-Gazetted Service Recruitment Rules, 2013 to wit:-

In the following rules, the following entries should be replaced by the existing entries in column no. 05 of the serial number one of schedule one, i.e.

Schedule - one
(See rule - 5)

S.No.	Name of the Post	Total Number of Post	Classification	Pay Scales	Classification
1	2	3	4	5	6
1.	Superintendent	09	Class Third	9300-34800+4200	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019

F.NO.5978/XXI-B(One)/2019 –In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2017, namely :-

AMENDMENTS

In the said rule –

1. after Rule 8, the following rule shall be added, namely;

"8A. Duration of validity of the select list: In case of appointment under rule 5(1)(C), the select list of the successful candidates in the examination in any recruitment year shall be valid upto 12 months from the date of declaration of the select list.

2. in rule 14, Sub Rule (1) shall be renumbered as clause (a) of sub-rule (1) and after so renumbered clause (a), the following clause shall be added, namely:-

"(b) Without prejudice to the provisions contained in sub-rule (2), a member of the service not found fit and suitable shall be compulsorily retired on his attaining the age of 58 years.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्र. 1648-1839-2019-ए-सोलह.— भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (01) की कंडिका (ई) सहपठित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तोका विनियमन) नियम 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा, **विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना** 2019 म.प्र. शासन के अनुमोदन के पश्चात अधिसूचित करता है-

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होनाः-

(1) यह योजना **'विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना'** कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों/स्थापनाओं में कार्यरत ऐसे श्रमिकों पर लागू होगी जो अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक की परिभाषा में आते हैं।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं तथा विगत 05 वर्षो से लगातार वैध परिचय-पत्र धारी हैं।

(ख) परिभाषाएं-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 से है।

(2) नियम का आशय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2002 से है।

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से है।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से है।

(5) छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ से आशय, शिक्षण शुल्क, अध्ययन सामग्री व्यय, निर्वाह भत्ता एवं यात्रा व्यय से है।

(6) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से है।

(7) इस योजना में परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित न हीं किये गये है, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित है।

(ग) <u>योजना का विवरण एवं पात्रताः</u>-

(1) निर्माण श्रमिक की संतानों को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम 50 छात्र-छात्राओं को विदेश अध्ययन हेतु सहायता राशि प्रदान की जायेगी। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को विदेशों में 02 वर्ष तक स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों, शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु छात्र वृत्ति एवं अन्य लाभ देय होगा।

(2) विदेश में अध्ययन हेतु संबंधित संस्था का प्रवेश-पत्र (Admission Card) आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

(3) यदि आवेदक विदेश से स्नातकोत्तरकरना चाहता है, तो आवेदक स्नातक उपाधि में 60 प्रतिशत अंकों सहित प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण हो। समतुल्य/समकक्ष स्नातकोत्तर उपधि में अध्ययन हेतु आवेदक को योजना का लाभ देय नही होगा।

(4) पी.एच.डी. उपाधि हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में 60 प्रतिशत अंकों सहित प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/शोध/एम. फिल. उपाधि होना आवश्यक है। यदि पूर्व में समतुल्य समकक्ष किसी भी संकाय में अध्ययन कर लिया है तो पुनः समकक्ष उपाधि हेतु योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(5) छात्र/छात्रा को किसी अन्य स्त्रोत से लाभ प्राप्त होने की स्थिति में इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

(6) अध्ययन कोर्स एम.बी.ए के लिए यू.एस, कनाडा यूनिवर्सिटिज में अध्ययन हेतु टी.ओ.ई.एफ.एल.(T.O.F.L.),ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, यू.के. में अध्ययन के लिए आई.ई.एल.टी.एस. (I.E.L.T.S.) या पी.टी.ई.(PTE), सी.ई.एल.पी.आइ.पी.(CELPIP) प्रवेश

परीक्षा कनाडा में अध्ययन के लिए, सी.ए.ई(CAE) या सी.पी.ई(CPE) यू.के में अध्ययन के लिए अनिवार्य होगा । इसी प्रकार एम.एस के लिए स्टेण्डराईज्ड टेस्ट GRE एवं देश विशेष में भाषा सम्बन्धि परीक्षा उत्तीण होने पर ही सहायता का लाभ देय होगा । इसके अतिरिक्त विधि संकाय, इंजीनियरिंग एवं अन्य कोर्स के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयनित मानक यूनिवर्सिटी से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा ।

(घ) योजना के अंतर्गत देय सहायता :-

योजनांतर्गत शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदक को निम्न वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी :-

(1) वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40,000 (चालीस हजार) यू.एस. डॉलर या जो भी कम हो, का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में अनुदान की राशि शैक्षणिक संस्था के निर्धारित शुल्क भुगतान शेड्यूल के अनुसार संस्था में अध्ययन की निरंतरता का प्रमाण पत्र देने पर देय होगी।

(2) निर्वाह भत्ता अधिकतम 10,000(दस हजार) यू.एस.डॉलर, वार्षिक देय होगा, जो कि जिस शैक्षणिक संस्था में अध्ययन हेतु छात्र जा रहा है उस संस्था द्वारा प्रदर्शित देश विदेश में होने वाले मासिक व्यय पर आधारित होगा।

(3) इसके अतिरिक्त वीज़ा शुल्क एवं बीमा प्रीमियम निवास स्थान से विमानपत्तन तक जाने एवं वापसी का द्वितीय श्रेणी का रेल/बस किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायुमार्ग से जाने एवं वापसी का इकोनॉमी क्लास का वास्तविक किराया देय होगा।

(4) यदि किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व छोड़ा जाता है तो शिक्षण शुल्क की राशि वापस करने हेतु बाध्य होगा।

(5) शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त निर्वाह भत्ते की राशि संबंधित पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में ई.पी.ओ के माध्यम से प्रतिमाह देय होगी।

(ङ) योजनांतर्गत अनुदान की प्रक्रियाः-

(1) विद्यार्थियों एवं अध्ययन संस्थाओं का चयन निम्नांकित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें:-

1. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन ।
4. संचालक, तकनीकि शिक्षा, म.प्र.।

(2) योजनांतर्गत विदेश में अध्ययन हेतु परीक्षा पास करने उपरात विदेश संस्था द्वारा जारी चयन-पत्र, चयनित संस्था द्वारा जारी शिक्षण शुल्क की प्रति तथा कोर्स का विवरण तथा जिसमें कोर्स की अवधि आवश्यक रूप से उल्लेखित हो का पदाभिहित अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरात ई.पी.ओ. पद्धति से निर्वाह भत्ते एवं अन्य मदों की राशि का भुगतान सीधे पंजीकृत निर्माण श्रमिक (जिसके पुत्र/पुत्री हेतु अनुदान दिया जा रहा हैं) के खाते में किया जावेगा। शैक्षणिक शुल्क का भुगतान सीधे संबंधित विश्वविद्यालय/अध्ययन संस्था को किया जावेगा। संपूर्ण भुगतान छात्र द्वारा वीजा प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा अर्थात मण्डल द्वारा वीजा शुल्क तथा बीमा प्रीमियम शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्र को की जायेगी। किराए की राशि छात्र द्वारा प्रस्तुत अनुमानित टिकट दर के आधार पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत की जायेगी।

(छ) <u>पदाभिहित अधिकारी</u> - सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।

(ज) <u>विसंगति का निवारण</u>- योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में प्रमुख सचिव, श्रम का निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019

रानी दुर्गावती सम्मान

नियम

क्र एफ 23–10/2019/पच्चीस–3 **(1) प्रस्तावना एवं उद्देश्य** – यह पुरस्कार समाज–सेवा, प्रशासन एवं उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिए आदिवासी महिला को दिया जायेगा। इस राष्ट्रीय सम्मान के अन्तर्गत रुपये 3.00 (तीन लाख) की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति–पट्टिका दी जायेगी। यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वन्या प्रकाशन के तत्वाधान में दिया जायेगा।

2. **शीर्षक** – यह नियम दुर्गावती सम्मान नियम, 2019 कहलायेंगे और राजपत्र में अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. **विस्तार क्षेत्र** – इनका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा, परन्तु पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला को मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना अनिवार्य होगा।

4. **सम्मान का स्वरूप /पात्रता–**

   (1) यह सम्मान निरन्तर कार्य साधना एवं उपलब्धि के लिए देय होंगे।

   (2) किसी व्यक्ति को पूर्व में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्थापित अन्य कोई भी सम्मान मिलने पर उन्हे यह सम्मान नहीं दिया जायेगा।

5. **निर्णायक मंडल का गठन एवं कार्य** – प्रत्येक पुरस्कार हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लेकर पृथक–पृथक 8 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा –

   (1) निर्णायक मंडल के लिए 8 सदस्यों में से, 4 शासकीय एवं 4 विशेषज्ञों को मनोनीत किया जायेगा। कोरम के लिये कम से कम 4 सदस्यों की सहभागिता होगी।

   (2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी निर्णायक मंडल का सदस्य नहीं होगा, जिसने सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि दी है अथवा उनका नाम सम्मान निर्णय के लिए प्रस्तावित है।

   (3) अशासकीय विशेषज्ञों का कार्यकाल उसी वर्ष की विशेषज्ञ समिति तक सीमित रहेगा, जिस वर्ष का सम्मान प्रदान किया जाना है। प्रत्येक नवीन वर्ष के लिये नवीन विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

   (4) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का सर्वानुमत निर्णय आवश्यक होगा जो शासन के लिए बंधनकारी होगा, सर्वानुमति नहीं होने पर उस वर्ष सम्मान नहीं दिया जायेगा।

   (5) प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था एवं आयुक्त, आदिवासी विकास निर्णायक मंडल के सदस्य होंगे एवं प्रबंध संचालक, वन्या मंडल की बैठकों का संयोजन करेंगे।

(6) सम्मान के चयन के संबंध में कोई दावा, आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(7) सामान्यतः सम्मान के लिये एक नाम का चयन होगा परन्तु निर्णायक मंडल अपरिहार्य कारणों से एक पुरस्कार के लिये दो नामों का चयन भी कर सकेगा एवं तद्नुसार उन्हें पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी।

(8) निर्णायक मंडल की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एंव उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अतिरिक्त बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।

(9) निर्णायक मंडल के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा व्यय तथा स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया जायेगा।

6. **चयन प्रक्रिया** – सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किये जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार–पत्रों में तथा विभागीय वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं संस्थानों से भी सम्मान के लिए नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे।

(2) नामांकन/आवेदन हार्ड कॉपी/ ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे परन्तु नियत तिथि तक हार्डकॉपी में भी भेजना अनिवार्य होगा।

(3) नामांकन में व्यक्ति का पूर्ण परिचय, उसके सृजानात्मक कार्यों की विशेष जानकारी, उन्हें पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण उनके बारे में पूर्व प्रकाशित प्रतिवेदन की जानकारी तथा सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र–पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिलिपियां भी अपेक्षित होंगी।

(4) सम्मान के लिए पूर्व में नामांकित अथवा प्रस्तावित व्यक्ति भी जिन्हें संदर्भित सम्मान नहीं मिला है, वे विचाराधीन वर्ष के सम्मान के लिए प्रविष्टियां पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।

(5) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इसका सत्यापन प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा किया जायेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों/नामांकनों को सम्मान वर्ष की पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(7) प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद निर्णायक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) प्रविष्टियों की प्राप्ति के लिये एक माह का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जायेगी।

7. **सम्मान की घोषणा** – निर्णायक मंडल द्वारा सम्मान के लिए जिन नामों का चयन होगा, उनसे औपचारिक सहमति प्राप्त की जायगी। सहमति प्राप्त होने के पश्चात प्रबंध संचालक वन्या द्वारा सम्मान के लिये नामों की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

8. **अलंकरण समारोह** –

(1) यह सम्मान प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा।

(2) सम्मान के लिये अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जावेगा।

सम्मान हेतु चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में वे, अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होंगी। चयनित व्यक्तियों को रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा करने की पात्रता होगी।

(3) अलंकरण समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

9. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां –**

(1) सम्मान प्रक्रिया, निर्णायक मंडल की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।

(2) सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, वन्या भोपाल को रहेंगे।

10. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** – राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में की गई व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जावेगी। ऐसे अन्य बिन्दु जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, निराकरण एवं नियमों में संशोधन करने के अधिकार भी राज्य शासन में वेष्ठित होंगे।

11. सम्मान के लिए प्राप्त प्रविष्टियों, चयनित नामों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिए अलग–अलग जिल्द में संधारित किया जायेगा तथा ऑनलाईन डाटा बेस भी रखा जायेगा। अलंकरण अवसर पर सम्मान एवं चयनित व्यक्ति पर केन्द्रित एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी।

वीर शंकर शाह–रघुनाथ शाह सम्मान

नियम

1. **प्रस्तावना एवं उद्देश्य** – यह पुरस्कार समाज–सेवा, प्रशासन एवं अद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिये आदिवासी पुरुष को दिया जायेगा। इस सम्मान के अन्तर्गत रुपये 3.00 (तीन लाख) की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति–पट्टिका दी जायेगी। यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वन्या प्रकाशन के तत्वाधान में दिया जायेगा।

2. **शीर्षक** – यह नियम वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान नियम, 2019 कहलायेंगे और राजपत्र में अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. **विस्तार क्षेत्र** – इनका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा, परन्तु पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष को मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना अनिवार्य होगा।

4. **सम्मान का स्वरूप /पात्रता–**

(1) यह सम्मान निरन्तर कार्य साधना एवं उपलब्धि के लिए देय होंगे।

(2) किसी व्यक्ति को पूर्व में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्थापित अन्य कोई भी सम्मान मिलने पर उन्हे यह सम्मान नहीं दिया जायेगा।

5. **निर्णायक मंडल का गठन एवं कार्य** – प्रत्येक पुरस्कार हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लेकर पृथक–पृथक 8 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा –

(1) निर्णायक मंडल के लिए 8 सदस्यों में से, 4 शासकीय एवं 4 विशेषज्ञों को मनोनीत किया जायेगा। कोरम के लिये कम से कम 4 सदस्यों की सहभागिता होगी।

(2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी निर्णायक मंडल का सदस्य नहीं होगा, जिसने सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि दी है अथवा उनका नाम सम्मान निर्णय के लिए प्रस्तावित है।

(3) अशासकीय विशेषज्ञों का कार्यकाल उसी वर्ष की विशेषज्ञ समिति तक सीमित रहेगा, जिस वर्ष का सम्मान प्रदान किया जाना है, प्रत्येक नवीन वर्ष के लिये नवीन विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

(4) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का सर्वानुमत निर्णय आवश्यक होगा, जो शासन के लिए बंधनकारी होगा, सर्वानुमति नहीं होने पर उस वर्ष सम्मान नहीं दिया जायेगा।

(5) प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था एवं आयुक्त आदिवासी विकास निर्णायक मंडल के सदस्य होंगे एवं प्रबंध संचालक, वन्या मंडल की बैठकों का संयोजन करेंगे।

(6) सम्मान के चयन के संबंध में कोई दावा, आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(7) सामान्यतः सम्मान के लिये एक नाम का चयन होगा परन्तु निर्णायक मंडल अपरिहार्य कारणों से एक पुरस्कार के लिये दो नामों का चयन भी कर सकेगा एवं तद्नुसार उन्हें पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी।

(8) निर्णायक मंडल की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एंव उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अतिरिक्त बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।

(9) निर्णायक मंडल के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा व्यय तथा स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया जायेगा।

6. **चयन प्रक्रिया** – सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किये जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार–पत्रों में तथा विभागीय वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं संस्थानों से भी सम्मान के लिए नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे।

(2) नामांकन/आवेदन हार्डकॉपी/ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे परन्तु नियत तिथि तक हार्डकॉपी में भी भेजना अनिवार्य होगा।

(3) नामांकन में व्यक्ति का पूर्ण परिचय, उसके सृजानात्मक कार्यों की विशेष जानकारी, उन्हें पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण उनके बारे में पूर्व प्रकाशित प्रतिवेदन की जानकारी तथा सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र–पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिलिपियां भी अपेक्षित होंगी।

(4) सम्मान के लिए पूर्व में नामांकित अथवा प्रस्तावित व्यक्ति भी जिन्हें संदर्भित सम्मान नहीं मिला है, वे विचाराधीन वर्ष के सम्मान के लिए प्रविष्टियां पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।

(5) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इसका सत्यापन प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा किया जायेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों/नामांकनों को सम्मान वर्ष की पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(7) प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद निर्णायक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) प्रविष्टियों की प्राप्ति के लिये एक माह का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जायेगी।

7. **सम्मान की घोषणा** – निर्णायक मंडल द्वारा सम्मान के लिए जिन नामों का चयन होगा, उनसे औपचारिक सहमति प्राप्त की जायगी। सहमति प्राप्त होने के पश्चात प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा सम्मान के लिये नामों की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

8. **अलंकरण समारोह** –

(1) यह सम्मान प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा।

(2) सम्मान के लिये अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जावेगा।

सम्मान हेतु चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में वे, अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होंगी। चयनित व्यक्तियों को रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा करने की पात्रता होगी।

(3) अलंकरण समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

9. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां** –

(1) सम्मान प्रक्रिया, निर्णायक मंडल की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।

(2) सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, वन्या भोपाल को रहेंगे।

10. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** – राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में की गई व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जावेगी। ऐसे अन्य बिन्दु जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, निराकरण एवं नियमों में संशोधन करने के अधिकार भी राज्य शासन में वेष्ठित होंगे।

11. सम्मान के लिए प्राप्त प्रविष्टियों, चयनित नामों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिए अलग–अलग जिल्द में संधारित किया जायेगा तथा ऑनलाईन डाटा बेस भी रखा जायेगा। अलंकरण अवसर पर सम्मान एवं चयनित व्यक्ति पर केन्द्रित एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी।

ठक्कर बापा सम्मान

नियम

1. **प्रस्तावना एवं उद्देश्य** – यह सम्मान गरीब, पीड़ित और हर तरह से पिछड़ी मध्यप्रदेश राज्य अंतर्गत आदिवासी समुदाय के लोगों की प्रेम, समदृष्टि और ममतापूर्ण सेवा एवं सुदीर्घ साधना के लिए संस्था/व्यक्ति को दिया जायेगा। इस सम्मान के अन्तर्गत रुपये 3.00 (तीन लाख) की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति–पट्टिका दी जायेगी। यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वन्या प्रकाशन के तत्वाधान में दिया जायेगा।

2. **शीर्षक**– यह नियम ठक्कर बापा सम्मान नियम, 2019 कहलायेंगे और राजपत्र में अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. **विस्तार क्षेत्र** – इनका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4. **सम्मान का स्वरूप/पात्रता**–

   (1) ठक्कर बापा सम्मान किसी एक कृति, उपलब्धि या कार्य के लिए न होकर सुदीर्घ साधना एवं उपलब्धि के लिए देय होगा।

   (2) किसी व्यक्ति को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्थापित अन्य कोई भी सम्मान मिलने पर उसे यह सम्मान नहीं दिया जायेगा।

5. **निर्णायक मंडल का गठन एवं कार्य** – प्रत्येक पुरस्कार हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लेकर पृथक–पृथक 8 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा –

   (1) निर्णायक मंडल के लिए 8 सदस्यों में से, 4 शासकीय एवं 4 विशेषज्ञों को मनोनीत किया जायेगा। कोरम के लिये कम से कम 4 सदस्यों की सहभागिता होगी।

   (2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी निर्णायक मंडल का सदस्य नहीं होगा, जिसने सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि दी है अथवा उनका नाम सम्मान निर्णय के लिए प्रस्तावित है।

   (3) अशासकीय विशेषज्ञों का कार्यकाल उसी वर्ष की विशेषज्ञ समिति तक सीमित रहेगा, जिस वर्ष का सम्मान प्रदान किया जाना है। प्रत्येक नवीन वर्ष के लिये नवीन विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

   (4) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का सर्वानुमत निर्णय आवश्यक होगा जो शासन के लिए बंधनकारी होगा, सर्वानुमति नहीं होने पर उस वर्ष सम्मान नहीं दिया जायेगा।

   (5) प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था एवं आयुक्त आदिवासी विकास निर्णायक मंडल के सदस्य होंगे एवं प्रबंध संचालक, वन्या मंडल की बैठकों का संयोजन करेंगे।

   (6) सम्मान के चयन के संबंध में कोई दावा, आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

   (7) सामान्यतः सम्मान के लिये एक नाम का चयन होगा परन्तु निर्णायक मंडल अपरिहार्य कारणों से एक पुरस्कार के लिये दो नामों का चयन भी कर सकेगा एवं तद्नुसार उन्हें पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी।

(8) निर्णायक मंडल की बैठक संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एंव उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अतिरिक्त बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।

(9) निर्णायक मंडल के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा व्यय तथा स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया जायेगा।

6. **चयन प्रक्रिया** – सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किये जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार–पत्रों में तथा विभागीय वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं संस्थानों से भी सम्मान के लिए नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे।

(2) नामांकन/आवेदन हार्डकॉपी/ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे परन्तु नियत तिथि तक हार्डकॉपी में भी भेजना अनिवार्य होगा।

(3) नामांकन में व्यक्ति का पूर्ण परिचय, उसके सृजानात्मक कार्यों की विशेष जानकारी, उन्हें पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण उनके बारे में पूर्व प्रकाशित प्रतिवेदन की जानकारी तथा सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र–पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिलिपियां भी अपेक्षित होंगी।

(4) सम्मान के लिए पूर्व में नामांकित अथवा प्रस्तावित संस्था/व्यक्ति जिन्हें संदर्भित सम्मान नहीं मिला है, वे विचाराधीन वर्ष के सम्मान के लिए प्रविष्टियां पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।

(5) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इसका सत्यापन प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा किया जायेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों/नामांकनों को सम्मान वर्ष की पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(7) प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद निर्णायक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) प्रविष्टियों की प्राप्ति के लिये एक माह का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जायेगी।

7. **सम्मान की घोषणा** – निर्णायक मंडल द्वारा सम्मान के लिए जिन नामों का चयन होगा, उनसे औपचारिक सहमति प्राप्त की जायगी। सहमति प्राप्त होने के पश्चात प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा सम्मान के लिये नामों की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

8. **अलंकरण समारोह** –

(1) यह सम्मान प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा।

(2) सम्मान के लिये अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जावेगा।

सम्मान हेतु चयनित संस्था/व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में केवल चयनित व्यक्ति, अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होंगी। चयनित संस्था/व्यक्ति को रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा करने की

पात्रता होगी। यदि पुरस्कार हेतु संस्था का चयन किया जाता है तो संस्था की ओर से अधिकतम दो व्यक्तियों को उक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(3) अलंकरण समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

9. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां –**

(1) सम्मान प्रक्रिया, निर्णायक मंडल की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।

(2) सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, वन्या भोपाल को रहेंगे।

10. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** – राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में की गई व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जावेगी। ऐसे अन्य बिन्दु जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, निराकरण एवं नियमों में संशोधन करने के अधिकार भी राज्य शासन में वेष्ठित होंगे।

11. सम्मान के लिए प्राप्त प्रविष्टियों, चयनित नामों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिए अलग–अलग जिल्द में संधारित किया जायेगा तथा ऑनलाईन डाटा बेस भी रखा जायेगा। अलंकरण अवसर पर सम्मान एवं चयनित संस्था/व्यक्ति पर केन्द्रित एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी।

जननायक टंट्या भील सम्मान

नियम

1. **प्रस्तावना एवं उद्देश्य** – यह पुरस्कार शिक्षा और खेल गतिविधियों में स्वंय के उल्लेखनीय तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवा–युवतियों को प्रदान किया जायेगा इसमे रुपये 3.00 (तीन लाख) की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति–पट्टिका दी जायेगी। यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वन्या प्रकाशन के तत्वाधान में दिया जायेगा।

2. **शीर्षक** – यह नियम जननायक टंट्या भील सम्मान नियम, 2019 कहलायेंगे और **"मध्यप्रदेश राजपत्र"** में अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. **विस्तार क्षेत्र** – इनका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा किन्तु सम्मान के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

4. **सम्मान का स्वरूप/पात्रता –**

(1) जननायक टंट्या भील सम्मान शिक्षा और खेल गतिविधियों में स्वयं के उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सुदीर्घ साधना एवं उपलब्धि के लिए देय होगा।

(2) किसी व्यक्ति को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्थापित अन्य कोई भी सम्मान मिलने पर यह सम्मान नहीं दिया जायेगा।

(3) आवेदक 45 वर्ष से कम उम्र का हो।

5. **निर्णायक मंडल का गठन एवं कार्य** – प्रत्येक पुरस्कार हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लेकर पृथक–पृथक 8 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा –

(1) निर्णायक मंडल के लिए 8 सदस्यों में से, 4 शासकीय एवं 4 विशेषज्ञों को मनोनीत किया जायेगा। कोरम के लिये कम से कम 4 सदस्यों की सहभागिता होगी।

(2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी निर्णायक मंडल का सदस्य नहीं होगा, जिसने सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि दी है अथवा उनका नाम सम्मान निर्णय के लिए प्रस्तावित है।

(3) अशासकीय विशेषज्ञों का कार्यकाल उसी वर्ष की विशेषज्ञ समिति तक सीमित रहेगा, जिस वर्ष का सम्मान प्रदान किया जाना है। प्रत्येक नवीन वर्ष के लिये नवीन विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

(4) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का सर्वानुमत निर्णय आवश्यक होगा जो शासन के लिए बंधनकारी होगा, सर्वानुमति नहीं होने पर उस वर्ष सम्मान नहीं दिया जायेगा।

(5) प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था एवं आयुक्त आदिवासी विकास निर्णायक मंडल के सदस्य होंगे एवं प्रबंध संचालक, वन्या मंडल की बैठकों का संयोजन करेंगे।

(6) सम्मान के चयन के संबंध में कोई दावा, आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(7) सामान्यतः सम्मान के लिये एक नाम का चयन होगा परन्तु निर्णायक मंडल अपरिहार्य कारणों से एक पुरस्कार के लिये दो नामों का चयन भी कर सकेगा एवं तद्नुसार उन्हें पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी।

(8) निर्णायक मंडल की बैठक संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एंव उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अतिरिक्त बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।

(9) निर्णायक मंडल के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा व्यय तथा स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया जायेगा।

6. **चयन प्रक्रिया** – सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किये जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार–पत्रों में तथा विभागीय वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं संस्थानों से भी सम्मान के लिए नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे।

(2) नामांकन/आवेदन हार्डकॉपी/ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे परन्तु नियत तिथि तक हार्डकॉपी में भी भेजना अनिवार्य होगा।

(3) नामांकन में व्यक्ति का पूर्ण परिचय, उसके सृजानात्मक कार्यों की विशेष जानकारी, उन्हें पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण उनके बारे में पूर्व प्रकाशित प्रतिवेदन की जानकारी तथा सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र–पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिलिपियां भी अपेक्षित होंगी।

(4) सम्मान के लिए पूर्व में नामांकित अथवा प्रस्तावित व्यक्ति भी जिन्हें संदर्भित सम्मान नहीं मिला है, वे विचाराधीन वर्ष के सम्मान के लिए प्रविष्टियां पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।

(5) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इसका सत्यापन प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा किया जायेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों/नामांकनों को सम्मान वर्ष की पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(7) प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद निर्णायक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) प्रविष्टियों की प्राप्ति के लिये एक माह का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जायेगी।

7. **सम्मान की घोषणा** – निर्णायक मंडल द्वारा सम्मान के लिए जिन नामों का चयन होगा, उनसे औपचारिक सहमति प्राप्त की जायगी। सहमति प्राप्त होने के पश्चात प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा सम्मान के लिये नामों की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

8. **अलंकरण समारोह** –

(1) यह सम्मान प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा।

(2) सम्मान के लिये अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जावेगा।

सम्मान हेतु चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में वे, अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होंगी। चयनित व्यक्तियों को रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा करने की पात्रता होगी।

(3) अलंकरण समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

9. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां** –

(1) सम्मान प्रक्रिया, निर्णायक मंडल की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।

(2) सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, वन्या भोपाल को रहेंगे।

10. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** – राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में की गई व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जावेगी। ऐसे अन्य बिन्दु जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, निराकरण एवं नियमों में संशोधन करने के अधिकार भी राज्य शासन में वेष्ठित होंगे।

11. सम्मान के लिए प्राप्त प्रविष्टियों, चयनित नामों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिए अलग–अलग जिल्द में संधारित किया जायेगा तथा ऑनलाईन डाटा बेस भी रखा जायेगा। अलंकरण अवसर पर सम्मान एवं चयनित व्यक्ति पर केन्द्रित एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी।

बादल भोई सम्मान

नियम

1. **प्रस्तावना एवं उद्देश्य** – यह पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में अदम्य साहस व वीरता के लिए आदिवासी महिला/पुरुष/बालक/बालिका को दिया जायेगा, इसमे रुपये 3.00 (तीन लाख) की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति–पट्टिका दी जायेगी।यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वन्या प्रकाशन के तत्वाधान में दिया जायेगा।

2. **शीर्षक** – यह नियम बादल भोई सम्मान नियम, 2019 कहलायेंगे और **"मध्यप्रदेश राजपत्र"** में अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. **विस्तार क्षेत्र** – इनका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। परन्तु मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही सम्मान हेतु पात्र होगें।

4. **सम्मान का स्वरूप/पात्रता** –

   (1) बादल भोई सम्मान सामाजिक क्षेत्र में अदम्य साहस व वीरता के लिये देय होगा।

   (2) किसी व्यक्ति को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्थापित अन्य कोई भी सम्मान मिलने पर यह सम्मान नहीं दिया जायेगा।

5. **निर्णायक मंडल का गठन एवं कार्य** – प्रत्येक पुरस्कार हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लेकर पृथक–पृथक 8 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा –

   (1) निर्णायक मंडल के लिए 8 सदस्यों में से, 4 शासकीय एवं 4 विशेषज्ञों को मनोनीत किया जायेगा। कोरम के लिये कम से कम 4 सदस्यों की सहभागिता होगी।

   (2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी निर्णायक मंडल का सदस्य नहीं होगा, जिसने सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि दी है अथवा उनका नाम सम्मान निर्णय के लिए प्रस्तावित है।

   (3) अशासकीय विशेषज्ञों का कार्यकाल उसी वर्ष की विशेषज्ञ समिति तक सीमित रहेगा, जिस वर्ष का सम्मान प्रदान किया जाना है। प्रत्येक नवीन वर्ष के लिये नवीन विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

   (4) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का सर्वानुमत निर्णय आवश्यक होगा जो शासन के लिए बंधनकारी होगा, सर्वानुमति नहीं होने पर उस वर्ष सम्मान नहीं दिया जायेगा।

   (5) प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था एवं आयुक्त आदिवासी विकास निर्णायक मंडल के सदस्य होंगे एवं प्रबंध संचालक, वन्या मंडल की बैठकों का संयोजन करेंगे।

   (6) सम्मान के चयन के संबंध में कोई दावा, आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

   (7) सामान्यतः सम्मान के लिये एक नाम का चयन होगा परन्तु निर्णायक मंडल अपरिहार्य कारणों से एक पुरस्कार के लिये दो नामों का चयन भी कर सकेगा एवं तद्नुसार उन्हें पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी।

   (8) निर्णायक मंडल की बैठक संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एंव उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अतिरिक्त बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।

(9) निर्णायक मंडल के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा व्यय तथा स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया जायेगा।

6. **चयन प्रक्रिया** – सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किये जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार–पत्रों में तथा विभागीय वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं संस्थानों से भी सम्मान के लिए नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे।

(2) नामांकन/आवेदन हार्डकॉपी/ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे परंतु नियत तिथि तक हार्डकॉपी में भी भेजना अनिवार्य होगा।

(3) नामांकन में व्यक्ति का पूर्ण परिचय, उसके सृजानात्मक कार्यों की विशेष जानकारी, उन्हें पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण उनके बारे में पूर्व प्रकाशित प्रतिवेदन की जानकारी तथा सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र–पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिलिपियां भी अपेक्षित होंगी।

(4) सम्मान के लिए पूर्व में नामांकित अथवा प्रस्तावित व्यक्ति भी जिन्हें संदर्भित सम्मान नहीं मिला है, वे विचाराधीन वर्ष के सम्मान के लिए प्रविष्टियां पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।

(5) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इसका सत्यापन प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा किया जायेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों/नामांकनों को सम्मान वर्ष की पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(7) प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद निर्णायक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) प्रविष्टियों की प्राप्ति के लिये एक माह का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जायेगी।

7. **सम्मान की घोषणा** – निर्णायक मंडल द्वारा सम्मान के लिए जिन नामों का चयन होगा, उनसे औपचारिक सहमति प्राप्त की जायगी। सहमति प्राप्त होने के पश्चात प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा सम्मान के लिये नामों की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

8. **अलंकरण समारोह** –

(1) यह सम्मान प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा।

(2) सम्मान के लिये अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जावेगा।

सम्मान हेतु चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में वे, अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होंगी। चयनित व्यक्तियों को रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा करने की पात्रता होगी।

(3) अलंकरण समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

9. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां** –

(1) सम्मान प्रक्रिया, निर्णायक मंडल की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।

(2) सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, वन्या भोपाल को रहेंगे।

10. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** – राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में की गई व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जावेगी। ऐसे अन्य बिन्दु जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, निराकरण एवं नियमों में संशोधन करने के अधिकार भी राज्य शासन में वेष्ठित होंगे।

11. सम्मान के लिए प्राप्त प्रविष्टियों, चयनित नामों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिए अलग–अलग जिल्द में संधारित किया जायेगा तथा ऑनलाईन डाटा बेस भी रखा जायेगा। अलंकरण अवसर पर सम्मान एवं चयनित व्यक्ति पर केन्द्रित एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी।

जनगण श्याम सम्मान

नियम

1. **प्रस्तावना एवं उद्देश्य** – यह पुरूस्कार परम्परागत एवं सृजनात्मक जनजातीय कला एवं शिल्प के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिये आदिवासी महिला/पुरुष को दिया जायेगा, इसमें रुपये 3.00 (तीन लाख) की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति–पट्टिका दी जायेगी। यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वन्या प्रकाशन के तत्वाधान में दिया जायेगा।

2. **शीर्षक** – यह नियम जनगण श्याम सम्मान नियम, 2019 कहलायेंगे और **"मध्यप्रदेश राजपत्र"** में अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. **विस्तार क्षेत्र** – इनका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। परन्तु सम्मान के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

4. **सम्मान का स्वरूप/पात्रता** –

(1) जनगण श्याम सम्मान किसी एक कृति, रचना या उपलब्धि के लिये न होकर सुदीर्घ साधना एवं उपलब्धि के लिये देय होगा।

(2) किसी व्यक्ति को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्थापित अन्य कोई भी सम्मान मिलने पर यह सम्मान नहीं दिया जायेगा।

5. **निर्णायक मंडल का गठन एवं कार्य** – प्रत्येक पुरस्कार हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लेकर पृथक–पृथक 8 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा –

(1) निर्णायक मंडल के लिए 8 सदस्यों में से, 4 शासकीय एवं 4 विशेषज्ञों को मनोनीत किया जायेगा। कोरम के लिये कम से कम 4 सदस्यों की सहभागिता होगी।

(2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी निर्णायक मंडल का सदस्य नहीं होगा, जिसने सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि दी है अथवा उनका नाम सम्मान निर्णय के लिए प्रस्तावित है।

(3) अशासकीय विशेषज्ञों का कार्यकाल उसी वर्ष की विशेषज्ञ समिति तक सीमित रहेगा, जिस वर्ष का सम्मान प्रदान किया जाना है। प्रत्येक नवीन वर्ष के लिये नवीन विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

(4) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का सर्वानुमत निर्णय आवश्यक होगा जो शासन के लिए बंधनकारी होगा, सर्वानुमति नहीं होने पर उस वर्ष सम्मान नहीं दिया जायेगा।

(5) प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था एवं आयुक्त आदिवासी विकास निर्णायक मंडल के सदस्य होंगे एवं प्रबंध संचालक, वन्या मंडल की बैठकों का संयोजन करेंगे।

(6) सम्मान के चयन के संबंध में कोई दावा, आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(7) सामान्यतः सम्मान के लिये एक नाम का चयन होगा परन्तु निर्णायक मंडल अपरिहार्य कारणों से एक पुरस्कार के लिये दो नामों का चयन भी कर सकेगा एवं तद्नुसार उन्हें पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी।

(8) निर्णायक मंडल की बैठक संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एंव उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अतिरिक्त बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।

(9) निर्णायक मंडल के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा व्यय तथा स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया जायेगा।

6. **चयन प्रक्रिया** – सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किये जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार–पत्रों में तथा विभागीय वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं संस्थानों से भी सम्मान के लिए नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे।

(2) नामांकन/आवेदन हार्डकॉपी/ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे परन्तु नियत तिथि तक हार्डकॉपी में भी भेजना अनिवार्य होगा।

(3) नामांकन में व्यक्ति का पूर्ण परिचय, उसके सृजानात्मक कार्यों की विशेष जानकारी, उन्हें पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण उनके बारे में पूर्व प्रकाशित प्रतिवेदन की जानकारी तथा सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र–पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिलिपियां भी अपेक्षित होंगी।

(4) सम्मान के लिए पूर्व में नामांकित अथवा प्रस्तावित व्यक्ति भी जिन्हें संदर्भित सम्मान नहीं मिला है, वे विचाराधीन वर्ष के सम्मान के लिए प्रविष्टियां पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।

(5) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इसका सत्यापन प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा किया जायेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों/नामांकनों को सम्मान वर्ष की पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(7) प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद निर्णायक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) प्रविष्टियों की प्राप्ति के लिये एक माह का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जायेगी।

7. **सम्मान की घोषणा** – निर्णायक मंडल द्वारा सम्मान के लिए जिन नामों का चयन होगा, उनसे औपचारिक सहमति प्राप्त की जायगी। सहमति प्राप्त होने के पश्चात प्रबंध संचालक, वन्या द्वारा सम्मान के लिये नामों की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

8. **अलंकरण समारोह** –

(1) यह सम्मान प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा।

(2) सम्मान के लिये अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जावेगा।

सम्मान हेतु चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में वे, अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होंगी। चयनित व्यक्तियों को रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा करने की पात्रता होगी।

(3) अलंकरण समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

9. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां** –

(1) सम्मान प्रक्रिया, निर्णायक मंडल की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।

(2) सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, वन्या भोपाल को रहेंगे।

10. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** – राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में की गई व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जावेगी। ऐसे अन्य बिन्दु जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, निराकरण एवं नियमों में संशोधन करने के अधिकार भी राज्य शासन में वेष्ठित होंगे।

11. सम्मान के लिए प्राप्त प्रविष्टियों, चयनित नामों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिए अलग–अलग जिल्द में संधारित किया जायेगा तथा ऑनलाईन डाटा बेस भी रखा जायेगा। अलंकरण अवसर पर सम्मान एवं चयनित व्यक्ति पर केन्द्रित एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.